न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 118/2018 **दायरा दिनांक : 20.07.2018**

उनवान

माया बसेर पुत्र प्रभूलाल, पत्नी दिनेश बतेर, जाति कलाल, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– नफीसा बाई पुत्री इब्राहित भाई पत्नी इस्माईल, जाति बोहरा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

2– श्रीमती अल्का पुत्री रामस्वरूप पत्नी भूपेश, जाति महाजन, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

3– राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 113/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून एवं पत्र संग्रहसार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । ग्राम माण्डवी, तहसील पचपहाड़ में जमाबंदी खतौनी संख्या 179/43 में खसरा नम्बर 380 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा है जिसके वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 खातेदार कृषक तथा काबिज काश्त है, किन्तु अपने अपने हिस्से की आराजी का अलग अलग विभजन कराना आवश्यक है । वादिनी अपने हिस्से की अलग स्वतंत्र रूप से खातेदार बनने की इच्छुक है क्योंकि दो अन्य खातेदारों के साथ आराजी की उन्नति नहीं हो सकती इस कारण यह वाद पत्र बाबत बंटवारा प्रस्तुत किया जा रहा है । उक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा है, इस कारण से वादी 3 बीघा 19 बिस्वा आराजी के 1/3 हिस्से पर मौके पर विभाजन कराकर खाते दर्ज कराने की अधिकारी है । वादी ने वाद के अन्त में निवेदन किया कि ग्राम माण्डवी, तहसील पचपहाड़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 380 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा का नियमानुसार विभाजन किया जाकर वादी को उसके 1/3 हिस्से का अलग खाता खोला जाकर मौके पर वास्तविक कब्जा दिलाया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई और न ही जवाबदेही समाप्त की गई, ना ही रेस्पोडेंट कम 1 की कोई साक्ष्य ली गई, और न ही दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये और सीधे ही लोक अदालत में निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2018 के पारित निर्णय में लिखा है कि ''पक्षकारान को उक्त केम्प में उपस्थित होने हेतु जरिये नोटिस पाबन्द किया गया'' जबकि ऐसा कोई नोटिस ही जारी किया गया और न ही ऐसा कोई नोटिस अपीलांट को प्राप्त हुआ है । अतः पूरी कार्यवाही ही दूषित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लोक अदालत बाबत दिये गये निर्देशों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है । अतः अपील अपीलांट

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील के तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है । अतः स्वतः प्रमाणित है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा